न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 301 / 2024

अनवान : –

1. प्रभूसिंह राठौड़ पुत्र मानसिंह जाति राजपुत निवासी मेघाना हाल झोटवाड़ा तहसील जयपुर राजस्थान।

– वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. ख्यालीराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
3. देवीलाल पुत्र उदाराम जाति ब्राहमण निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
4. धर्मपाल पुत्र हरसुख जाति खाती निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
5. बेगराज पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
6. श्योकरण पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 06/11/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 121 / 121 की कुल 8.6880 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है। वादी ने अपने हिस्से की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है। अतः वादी मुताबिक कब्जा काश्त व हक हिस्सा के अनुसार अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व अच्छी मंदी भूमि के हिसाब से खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 121 / 121 की कुल 8.6880 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व अच्छी मंदी भूमि के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:52:17 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शमिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा मेघाना खाता स0 121 / 121 पेश की।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

साक्ष्य वादी में वादी ने शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किया जावे।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतो के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 121/121 की कुल 8.6880 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 प्रभुसिंह राठौड़ पुत्र मानसिंह जाति राजपूत सा0 देह हाल झोटवाड़ा जयपुर खातेदार– ख0न0 327/2 मिन रकबा 0.430 हैक्ट बारानी प्रथम

2 ओमप्रकाश पुत्र मनफूल 17295/82580 हि0, ख्यालीराम पुत्र मनफूलराम 17295/82580 हि0, बेगराज पुत्र मनफूलराम 17295/82580 हि0 जाति जाट सा0 खरसण्डी, श्योनारायण पुत्र पुत्र मनफूल 17295/82580 हि0 जाति जाट सा0 खरसण्डी राहिन आईडीबीआई बैंक शाखा चकसरदारपुरा, देवीलाल पुत्र उदाराम 4170/82580 हि0 जाति ब्राहमण सा0 नोहर राहिन राज0 मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा दलपतपुरा, धर्मपाल पुत्र हरसुख जाति खाती सा0 देह खातेदार राहिन पीएनबी शाखा नोहर– ख0न0 321/1 मिन की 0.4170 हैक्ट, 327/3 मिन की 0.139 हैक्ट, 323/2 की 5.552 हैक्ट, 232/3 मिन की 2.150 हैक्ट कुल किता 4 रकबा 8.2580 हैक्ट बारानी प्रथम

3 कृष्णलाल पुत्र चन्दुराम हि0 1/2 जाति जाट सा0 किशनपुराउतरादा खातेदार, सहदेव पुत्र चन्दुराम हि0 1/2 जाति जाट सा0 किशनुपराउतरादा खातेदार– **ग्राम थिराना तहसील नोहर के ख0न0 500/1 में से 3.668 हैक्ट, ख0न0 501/1 में से 0.7547 हैक्ट कुल किता 2 कुल योग 4.4227 हैक्ट बारानी प्रथम**

4 गै0मु0 रास्ता– **ग्राम थिराना तहसील नोहर के ख0न0 500/1 में से 0.070 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, ख0न0 501/2 में से 0.070 हैक्ट गै0मु0 रास्ता कुल किता 2 कुल योग 0.140 हैक्ट गै0मु0 रास्ता**

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 08/11/20.. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:52:17 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 301/2024

अनवान : –

1. प्रभूसिंह राठौड़ पुत्र मानसिंह जाति राजपुत निवासी मेघाना हाल झोटवाड़ा तहसील जयपुर राजस्थान।

– वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. ख्यालीराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
3. देवीलाल पुत्र उदाराम जाति ब्राहमण निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
4. धर्मपाल पुत्र हरसुख जाति खाती निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
5. बेगराज पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
6. श्योकरण पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 301 सन 2024 निर्णय दिनांक 06/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नोहर के अंतिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 121/121 की कुल 8.6880 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 प्रभुसिंह राठौड़ पुत्र मानसिंह जाति राजपूत सा0 देह हाल झोटवाड़ा जयपुर खातेदार– ख0न0 327/2 मिन रकबा 0.430 हैक्ट बारानी प्रथम

2 ओमप्रकाश पुत्र मनफूल 17295/82580 हि0, ख्यालीराम पुत्र मनफूलराम 17295/82580 हि0, बेगराज पुत्र मनफूलराम 17295/82580 हि0 जाति जाट सा0 खरसण्डी, श्योनारायण पुत्र पुत्र मनफूल 17295/82580 हि0 जाति जाट सा0 खरसण्डी राहिन आईडीबीआई बैंक शाखा चकसरदारपुरा, देवीलाल पुत्र उदाराम 4170/82580 हि0 जाति ब्राहमण सा0 नोहर राहिन राज0 मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा दलपतपुरा, धर्मपाल पुत्र हरसुख जाति खाती सा0 देह खातेदार राहिन पीएनबी शाखा नोहर– ख0न0 321/1 मिन की 0.4170 हैक्ट, 327/3 मिन की 0.139 हैक्ट, 323/2 की 5.552 हैक्ट, 232/3 मिन की 2.150 हैक्ट कुल किता 4 रकबा 8.2580 हैक्ट बारानी प्रथम

3 कृष्णलाल पुत्र चन्दुराम हि0 1/2 जाति जाट सा0 किशनपुराउतरादा खातेदार, सहदेव पुत्र चन्दुराम हि0 1/2 जाति जाट सा0 किशनुपराउतरादा खातेदार– **ग्राम थिराना तहसील नोहर के ख0न0 500/1 में से 3.668 हैक्ट, ख0न0 501/1 में से 0.7547 हैक्ट कुल किता 2 कुल योग 4.4227 हैक्ट बारानी प्रथम**

4 गै0मु0 रास्ता– **ग्राम थिराना तहसील नोहर के ख0न0 500/1 में से 0.070 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, ख0न0 501/2 में से 0.070 हैक्ट गै0मु0 रास्ता कुल किता 2 कुल योग 0.140 हैक्ट गै0मु0 रास्ता**

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:52:17 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
नोहर